काफी निर्यातकों द्वारा काफी नीलामी का बहिष्कार

*594. **श्री सोम पाल :**

श्री शारदा महन्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कॉफी निर्यातकों ने फरवरी के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह के दौरान की गई कॉफी की नीलामी का बहिष्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसका हमारे कॉफी निर्यातकों और कॉफी उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) सरकार कॉफी उत्पादकों, कॉफी निर्यातकों और कॉफी बोर्ड के मध्य स्वास्थ्य संबंधों के विकास के लिए क्या कदम उठा रही हैं ताकि यह समस्या दोबारा खड़ी न हो ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) कॉफी निर्यातकर्ताओं ने फरवरी, 1994 के तीसरे या चौथे सप्ताह में कॉफी नीलामी को अस्वीकार नहीं किया था। फ्री सेल कोटा देने के पहले, जनवरी, 1994 में साप्ताहिक निर्यात नीलामियां करने का कार्यक्रम अनन्तिम रूप से तय कर दिया गया था ताकि निर्यातकर्ताओं को पेशगी नोटिस दी जा सके। इसके बाद, फरवरी, 1994 माह के लिए भी कार्यक्रम तय कर दिया गया था और निर्यात नीलामी 9.2.94 को होना निश्चित कर दिया गया था। इसी बीच, फ्री सेल कोटा देने के बारे में कॉफी अधिनियम में संशोधन होने के कारण, यह निर्णय किया गया कि निर्यात/घरेलू बाजार के लिए अलग-अलग नीलामियां करने के स्थान पर एक ही सामान्य नीलामी प्रणाली शुरू की जाए। ऐसी सामान्य नीलामी प्रणाली के संचालक नियम बनाने के उद्देश्य से, 9.2.1994 को तय नीलामी 23.2.1994 के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि नियम बनाने में कुछ समय लगना ही था। यह स्थगित नीलामी 23.2.1994 को हुई थी। दिनांक 23.2.1994 को हुई नीलामी में 197 भागीदार आए और नीलामी के फलस्वरूप 1927 टन कॉफी की बिक्री हुई।

फ्री सेल कोटा के फलस्वरूप, घरेलू बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का समेकन हो गया है। फ्री सेल कोटा दिए जाने से कॉफी उत्पादकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं के बीच संबंध और भी स्वस्थ तथा अच्छे हो गए हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप बने नए वातावरण में कॉफी उत्पादकर्ता निर्यातकर्ताओं को मुक्त रूप से और सीधे ही कॉफी बेचते भी हैं। उनकी यह बिक्री सरप्लस पूल में कॉफी देने के अलावा होती है, यद्यपि पूल में दी जाने वाली मात्रा इस प्रयोजन में प्रयोज्य प्रतिशत से कुछ कम होती है। इसके अलावा, उत्पादकर्ताओं को अपने आप भी निर्यात करने की इजाजत है। कॉफी बोर्ड भी समय-समय पर होने वाली सामान्य नीलामियों में सरप्लस पूल के लिए प्राप्त ऐसी कॉफी बेचता है जिसे निर्यातकर्ता और घरेलू व्यापारी दोनों ही खरीदते हैं। कॉफी बोर्ड ने अब निर्यातकर्ताओं के पंजीकरण की कार्यविधियां, नीलामी कार्यविधियां तथा अन्य शर्तें सरल कर दी हैं ताकि पंजीकृत निर्यातकर्ताओं द्वारा कॉफी की खरीद और निर्यात तथा उत्पादकर्ताओं द्वारा भी कॉफी का निर्यात सरलता और सुविधा से हो सके।

इन सभी बातों के फलस्वरूप कॉफी उत्पादकर्ताओं, निर्यातकर्ताओं और कॉफी बोर्ड के आपसी संबंध मधुर और सहयोगी भावना के हो गए हैं।